रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05102021-230164
CG-DL-E-05102021-230164

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 576] नई दिल्ली, मंगलवार, अक्तूबर 5, 2021/आश्विन 13, 1943
No. 576] NEW DELHI, TUESDAY, OCTOBER 5, 2021/ASVINA 13, 1943

नागर विमानन मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 30 सितम्बर, 2021

सा.का.नि. 718(अ).—वायुयान (खतरनाक सामान की ढुलाई) नियम, 2003 को और संशोधित करने के लिए कतिपय नियमों का निम्नलिखित प्रारूप, जिसे केंद्रीय सरकार वायुयान अधिनियम, 1934 (1934 का 22) की धारा 5, द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करके बनाना प्रस्तावित करती है, इससे प्रभावित होने वाले सभी संभावित व्यक्तियों को सूचनार्थ, उक्त अधिनियम की धारा 14 द्वारा यथोपेक्षित, एतद्वारा प्रकाशित करती है; और एतद्वारा सूचना दी जाती है कि उक्त प्रारूप को उस तारीख से तीस दिन की अवधि के बाद विचार हेतु लिया जाएगा जिस तारीख को भारत के राजपत्र की प्रतियां, जिसमें यह अधिसूचना प्रकाशित की गई है, जनता को उपलब्ध कराई जाती हैं;

आपत्तियां या सुझाव, यदि कोई हों, नागर विमानन महानिदेशक, सफरदजंग हवाईअड्डे के सामने, नई दिल्ली – 110003 को संबोधित की जा सकती हैं या dgoffice.dgca@nic.in को ईमेल की जा सकती हैं;

उपर विनिर्दिष्ट अवधि की समाप्ति से पूर्व उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में किसी भी व्यक्ति से प्राप्त हो सकने वाली किसी भी आपत्ति या सुझाव पर केंद्रीय सरकार द्वारा विचार किया जाएगा।

प्रारूप नियम

1. (क) इन नियमों को वायुयान (खतरनाक सामान की ढुलाई) संशोधन नियम, 2021 कहा जाए।

(ख) ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. वायुयान (खतरनाक सामान की ढुलाई) नियम, 2003 में;-

(क) नियम 2 में, -

(i) उपबंध (5) में "जोखिम" शब्द "परिसंकट" शब्द से प्रतिस्थापित होगा;

(ii) उपबंध (13) में "कनेंनमैंट (conainment)" शब्द "संरोधन (containment)" शब्द से प्रतिस्थापित होगा;

(iii) खंड (16) में, उप-बंध (ख) में, "फिंगुरस (fingures)" शब्द "उंगली (fingers)" शब्द से प्रतिस्थापित होगा;

(ख) नियम 9क में, उप-नियम (2) में, खंड (ii) में, "नौभार परेषक" शब्द, "नौभार परेषक एवं उसका एजेन्ट, यदि कोई हो तो" शब्दों से प्रतिस्थापित होगा;

(ग) नियम 10क में, उप-नियम (1) में, "अधिकारी" शब्द "व्यक्ति" शब्द से प्रतिस्थापित होगा;

(घ) नियम 10क में, उप-नियम (3) में, "अधिकारी" शब्द जहाँ कहीं भी मौजूद हो "व्यक्ति" शब्द से प्रतिस्थापित होगा;

(ङ) नियम 12क में, उप-नियम (9) में, निम्नलिखित उप-नियम को प्रतिस्थापित किया जाएगा, नामतः-

"(9) शुल्क का भुगतान महानिदेशक द्वारा विनिर्दिष्टानुसार तरीके से इलैक्ट्रानिक प्रक्रिया से किया जाएगा"।

[फा. सं. ए वी-11012/2/2021-डीजी]

सत्येंद्र कुमार मिश्रा, संयुक्त सचिव

नोटः मुख्य नियम दिनांक 5 मार्च, 2003 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 206(ङ) के माध्यम से भारत के राजपत्र में प्रकाशित हुए थे तथा अंतिम बार भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (i) दिनांक 03 मार्च, 2016 में प्रकाशित सा.का. नि. 275(ङ) दिनांक 25 फरवरी, 2016 के द्वारा संशोधित हुए थे।

MINISTRY OF CIVIL AVIATION

NOTIFICATION

New Delhi, the 30th September, 2021

G.S.R. 718(E).—The following draft of certain rules further to amend the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003, which the Central Government proposes to make in exercise of the powers conferred by section 5 of the Aircraft Act, 1934 (22 of 1934), is hereby published as required by section 14 of the said Act, for information ofall persons likely to be affected thereby, and notice is hereby given that the said draftwill be taken into consideration after a period of thirty days from the date on which copies of the Gazette of India in which this notification is published, are made available to the public;

Objections or suggestions, if any, may be addressed to the Director-General of Civil Aviation, Opposite Safdarjung Airport, New Delhi-110003 or mail to dgoffice.dgca@nic.in;

Any objection or suggestion which may be received from any person withrespect to the said draft rules before the expiry of the period specified above, will be considered by the Central Government.

Draft Rules

1. (a) These rules may be called the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Amendment Rules, 2021.

(b). These shall come into force on the date of their final publication in the Official Gazette.

2. In the Aircraft (Carriage of Dangerous Goods) Rules, 2003—

(A) in rule 2, ––—

(i) inclause (5), for the word "risk", the word "hazard" shall be substituted;

(ii) in clause (13), for the word "conainment", the word "containment" shall be substituted;

(iii) in clause (16), in sub-lause (b), for the word "fingures", the word "fingers" shall be substituted;

(B) in rule 9A, in sub-rule (2), in clause (ii), for the word "shipper", the words "shipper andhis agent, if any" shall be substituted;

(C) in rule 10A, in sub-rule (1), for the word "officer", the word "person" shall be substituted;

(D) in rule 10A, in sub-rule (3), for the word "officer"wherever it occurs, the word "person" shall be substituted;

(E) in rule 12A,for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namey:—

"(9) The fee shall be paid electronically in the manner as specified by the Director-General.".

[F. No. AV-11012/2/2021-DG]

SATYENDRA KUMAR MISHRA, Jt. Secy.

Note : The principal rules were published in the Gazette of India, vide notification number G.S.R. 206(E), dated the 5th March, 2003 and last amended vide G.S.R. 275(E) dated 25th February, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-Section (i) dated the 3rd March, 2016.

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. ALOK KUMAR Digitally signed by ALOK KUMAR Date: 2021.10.05 19:30:37 +05'30'